1.4.14 वन सरंक्षण

प्रदेश के वनों पर बढ़ते जैविक दबाव, बढ़ती जनसंख्या तथा कृषि हेतु जमीन की बढ़ती भूख के कारण वन क्षेत्रों में अतिक्रमण एक गंभीर समस्या है। वर्तमान में संगठित एवं हिंसक अतिक्रमण के प्रयास भी हो रहे हैं। कई अशासकीय संगठनों द्वारा भी वनक्षेत्र में अतिक्रमण को प्रोत्साहित करने की घटनायें भी प्रकाश में आई हैं।

जनभागीदारी एवं क्षेत्रीय इकाईयों की सक्रियता से वन अपराधों पर नियंत्रण के लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। विभाग द्वारा विगत पांच वर्षों में पंजीबद्ध वन अपराध प्रकरणों का विवरण **तालिका क्रमांक–1.28** में दर्शित है।

तालिका क्रमांक–1.28

वन अपराधों का विवरण

वन अपराध प्रकरण		2013	2014	2015	2016	2017 (सितम्बर तक)
अवैध कटाई के प्रकरण		54011	52613	48988	48087	35211
अवैध चराई के प्रकरण		1031	877	933	947	629
अवैध परिवहन के प्रकरण		2239	2137	1968	1631	1302
अतिक्रमण	प्रकरण संख्या	1699	1573	1658	1483	976
	नवीन प्रभावित क्षेत्र(हे0)	3679	3140	2622	2105	989
अवैध उत्खनन	प्रकरण संख्या	1257	1186	986	969	752
	प्रभावित क्षेत्र (हे0)	279	659	631	2700	542
कुल पंजीबद्ध वन अपराध		**62393**	**60411**	**56174**	**56716**	**45965**
जप्त वाहनों की संख्या		1126	1295	1651	1477	1122
न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण		2885	3180	3227	4009	2566
वन अपराध में वसूल राशि (लाख में)		429.87	451.49	387.31	5379.29	2133.45

पर्यावरण एवं वनों की सुरक्षा की दृष्टि से काष्ठ के चिरान एवं व्यापार को लोकहित में विनियमन करने के लिये बनाये गये म0प्र0 काष्ठ चिरान अधिनियम 1984 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दर्ज किये गये वन अपराध प्रकरण का विवरण **तालिका क्रमांक–1.29** में दर्शित है।

तालिका क्रमांक–1.29

अवैध काष्ठ चिरान के वर्षवार दर्ज प्रकरण

वर्ष	2013	2014	2015	2016	2017 (सितम्बर तक)
प्रकरण संख्या	308	184	172	91	80

- वनों की प्रभावी सुरक्षा हेतु क्षेत्रीय कर्मचारियों की गतिशीलता बढ़ाने हेतु वाहन उपलब्ध कराये गये हैं। अतिसंवेदनशील वनक्षेत्रों में बीट व्यवस्था के स्थान पर सामूहिक गश्त हेतु वन चौकियों की स्थापना की गई है। वर्ष 2017 की स्थिति में 329 वन चौकियां कार्यरत हैं। प्रत्येक चौकी में गश्ती हेतु वाहन उपलब्ध हैं। परिक्षेत्र स्तर पर वन गश्ती एवं सुरक्षा हेतु वाहन अनुबंधित कर उपलब्ध कराये गये हैं।
- वन अपराधों पर नियंत्रण एवं त्वरित कार्यवाही हेतु प्रत्येक वन वृत्त में उड़नदस्ता दल कार्यरत है। उड़नदस्ता दल में पर्याप्त संख्या में वनकर्मी, शस्त्र एवं वाहन उपलब्ध हैं। ऐसे क्षेत्रों में, जहां संगठित वन अपराधों की संभावना है, विशेष सशस्त्र बल की 3 कम्पनियां भी तैनात की गई हैं।
- वर्ष 2017 में 868 प्रकरणों में अपराधियों के विरूद्ध न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किये गये तथा अवैध परिवहन में 1122 वाहन जप्त किये गये है। वर्ष 2017 में रू 2.10 करोड़ राशि अभिसंधानित प्रकरणों में वसूल की गई।

वन अपराध प्रकरणों से संबंधित वृत्तवार जानकारी **परिशिष्ट क्रमांक 5 से 15** में संलग्न है।

वर्ष 2017 की विशिष्ट उपलब्धियॉ / घटनाएँ

- राज्य में वन एवं वन्यप्राणी सुरक्षा के लिये संवेदनशील क्षेत्रों में वन भूमि पर अतिक्रमण अवैध वृक्ष कटाई, अवैध उत्खनन एवं अवैध शिकार आदि वन अपराधों में पेशेवर अपराधी तत्व शामिल रहते हैं, जो वन कर्मचारियों एवं समस्त प्रबंध समितियों द्वारा नियमानुसार कार्यवाही में बाधा डालने में सक्षम हैं। ऐसे कभी कभी असामाजिक तत्व हथियारों का उपयोग भी करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में वन अपराधियों से आमना–सामना एवं मुठभेड़ होने की अनेक वारदातें होती हैं। वर्ष 2017 में वन अपराध प्रकरणों में वन कर्मियों कर्तव्य निष्पादन के दौरान हमले की 20 घटनायें हुईं। हमले की इन घटनाओं में 18 वन कर्मचारी घायल हुये एवं एक सुरक्षा श्रमिक की मृत्यु हो गई ।
- वन एवं वन्यप्राणी की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दृष्टि से वर्ष 2016–17 में कैम्पा मद के अंतर्गत 89 नग टाटा जिनॉन बहुउद्देशीय गश्ती वाहन, 150 नग 0.32 बोर रिवाल्वर क्रय किये गये। वित्तीय वर्ष 2017–18 में वन सुरक्षा अधोसंरचना विकास अंतर्गत वन मण्डल उत्तर पन्ना, दक्षिण सिवनी, सतना, सिंगरौली, खण्डवा, बुरहानपुर, बड़वाह, भोपाल, विदिशा, रतलाम, सेंधवा अंतर्गत 15 लाईन क्वार्टर निर्माणाधीन है। पूर्व मण्डला एवं पश्चिम बैतूल में वन चौकी निर्माण कार्य एवं वन मण्डल श्योपुर, भिण्ड, देवास को 5 वाच टावर निर्माण कार्य हेतु को राशि आवंटित की गई है।

- 2017–18 में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना (10–2406–5317 फारेस्ट फायर प्रिवेन्शन मेनेजमेन्ट योजना) के अंतर्गत वन सुरक्षा अधोसंरचना सुदृढ़ करने हेतु विभिन्न निर्माण कार्य कराये गए। बड़वाह वनमण्डल में 01 वन चौकी भवन, रायसेन, बड़वाह, श्योपुर, होशंगाबाद, डिण्डोरी, सतना, दक्षिण सिवनी वनमण्डल में 07 लाईन क्वार्टर भवन, पूर्व छिन्दवाड़ा, हरदा एवं खण्डवा वन मण्डल में 03 वन उपज जॉच नाका (बैरियर) का निर्माण कराया गया।
- कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से पूर्व की छूट को सम्मिलित करते हुये वृक्षों की 60 प्रजातियों को परिवहन अनुज्ञा पत्र से छूट दी गई है।
- विभागीय अपलेखित वाहन एवं वन अपराध में अंतिम रूप से राजसात वाहनों के निवर्तन में पारदर्शिता की दृष्टि से '' ई–टेंडरिंग'' की प्रकिया प्रारम्भ की गई जिसके माध्यम से वर्तमान में 81 वाहनों का विक्रय किया जाकर राशि रू 39.41 लाख का राजस्व शासकीय खाते में जमा करवाया गया, साथ ही 599 वाहनों की ''ई–टेंडरिंग'' के माध्यम से नीलामी की प्रकिया जारी है।

वन सुरक्षा प्रबंधन में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग

वन सुरक्षा के अनुश्रवण हेतु इंटरनेट आधारित **"वन अपराध प्रबंधन प्रणाली" (एफ.ओ.एम.एस.)** विकसित की गई है। इसके अंतर्गत अपराधों के पंजीयन, उनकी जांच, अभिसंधान, वसूली एवं न्यायालय में चालान इत्यादि कार्यवाही की सतत् समीक्षा की जाती है।

अग्नि दुर्घटनाओं की सामयिक जानकारी प्राप्त करने हेतु ''अग्नि सचेतन संदेश प्रणाली'' **(फायर एलर्ट मेसेजिंग सिस्टम)** विकसित की गई है, जिसके प्रभावी परिणाम प्राप्त हुये हैं। वर्ष 2008 में 4859 अग्नि घटनाओं में 62,740 हे. वनक्षेत्र अग्नि से प्रभावित हुआ था जबकि 2017 में वन अग्नि घटनाओं को अत्यंत सुक्ष्मता से देखने के बाद भी केवल 13,798 अग्नि घटनाये प्रकाश में आई जिसमें मात्र 17,553 हेक्टेयर ही वन क्षेत्र प्रभावित हुआ।

वन जल चौकी – जल मार्ग द्वारा पैट्रोलिंग

वन जल चौकी – जल मार्ग द्वारा पेट्रोलिंग

वन जल चौकी चन्देरीघाट, बड़वाह

वन चौकी

वन चौकी कार्यक्षेत्र

वनखण्ड मुनारा

वन मण्डल देवास अंतर्गत अवैध परिवहन में जप्त काष्ठ, टवेरा एवं स्कार्पियो वाहन

1.4.15 उत्पादन

राज्य में मुख्य रूप से सागौन, साल, बांस, खैर तथा अन्य मिश्रित प्रजातियों के वन पाये जाते है। कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार कूपों से ईमारती लकड़ी, जलाऊ, बांस व खैर का वन वर्धन के अनुसार विदोहन किया जाता है। साथ ही वनोपज की औद्योगिक व व्यापारिक आवश्यकताओं और वनों के समीप बसे ग्रामीणों की घरेलु आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आवश्यक व्यवस्था की जाती है। विगत 4 वर्षों में वन क्षेत्रों से काष्ठ एवं बांस का उत्पादन विवरण **तालिका क्रमांक–1.30** में दर्शित है।

तालिका क्रमांक–1.30
काष्ठ, बांस उत्पादन एवं राजस्व

विवरण	वर्ष			
	2013-14	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**
ईमारती लकड़ी (घ.मी. में)	2,35,352	2,40,409	2,06,915	1,84,304
जलाऊ चट्टे (नग)	1,73,660	1,78,481	1,28,433	1,20,213
बांस (नो.टन)	79,168	41,858	36,086	33885
प्राप्त राजस्व (करोड़ रुपये में)	1104.82	1073.93	1081.36	1016.32

राज्य की वर्तमान निस्तार नीति 01 जुलाई 1996 से लागू है। इस नीति में निस्तार सुविधा की पात्रता वनों की सीमा से 5 कि.मी. की परिधि में बसे परिवारों को ही दी गई है जिन्हें घरेलु उपयोग के लिये बांस छोटी ईमारती लकड़ी (बल्ली) हल, बक्खर बनाने की लकड़ी तथा जलाऊ लकड़ी रियायती दरों पर दी जाती है। इन वनोपज की पूर्ति के लिये राज्य में 1814 निस्तार डिपो संचालित हैं। इसके साथ–साथ स्वयं के उपयोग के लिये वनों से सिरबोज द्वारा गिरी पड़ी, मरी, सूखी जलाऊ लकड़ी लाने की सुविधा भी पूर्व अनुसार दी जा रही है। राज्य में 24058 बसोड़ परिवार पंजीकृत हैं। उन्हें रॉयल्टी मुक्त दर पर बांस उपलब्ध कराया जाता है।

काष्ठागार टिमरनी (जिला हरदा)

ऐसे बेगा आदिवासियों जो कि बांस का सामान बनाकर जीविकोपार्जन करते हैं, को भी निस्तार दरों पर बांस उपलब्ध कराने का निर्णय म.प्र. शासन वन विभाग के पत्र दिनांक 09.09.2009 द्वारा लिया गया है। प्रदेश में निस्तार व्यवस्था के तहत विगत 3 वर्षो में प्रदाय वनोपज का विवरण तालिका क्रमांक–1.31 में दर्शित है। विगत वर्षों में मालिक मकबूजा काष्ठ प्रकरण संख्या, प्राप्त काष्ठ व इस हेतु आवंटित बजट की जानकारी तालिका क्रमांक–1.32 में दर्शित है। प्रदेश के उत्पादन कार्यों को संपादन करने हेतु पिछले तीन वर्षों में निर्मित एवं इस वर्ष अनुमानित मानव दिवस की जानकारी तालिका क्रमांक–1.33 में दर्शित है।

निस्तार डिपो –
हंडिया, (जिला हरदा)

काष्ठागार हमलापुर (जिला बैतूल)

तालिका क्रमांक– 1.31

वर्षवार निस्तार प्रदाय

(मात्रा लाख नग में) (मूल्य की राशि रूपये लाख में)

विवरण	प्रदाय निस्तार सामग्री								
	2015			2016			2017		
वनोपज का नाम	बांस	बल्ली	जलाऊ चटटे	बांस	बल्ली	जलाऊ चट्टे	बांस	बल्ली	जलाऊ चट्टे
मात्रा	45.79	0.81	0.74	28.48	0.57	0.50	27.62	0.44	0.44
विक्रय मूल्य	526.82	107.12	427.95	326.10	61.20	330.77	444.50	59.36	328.13
बाजार	1202.50	185.71	1311.28	799.53	138.97	724.35	936.29	99.76	737.45
दी गई रियायत	**1637.59**			**944.78**			**942.00**		

तालिका क्रमांक– 1.32

वर्षवार मालिक मकबूजा हेतु वनमंडलों को आवंटित राशि

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	प्रकरण संख्या	प्राप्त काष्ठ (घ.मी.)	आवंटन (हजार रू. में)
1	2013-14	777	16295	358872
2	2014-15	816	20355	450370
3	2015-16	705	12769	316515
4	2016-17	428	9738	230673
5	2017-18 (जनवरी 2018)	504	13440	290592

तालिका क्रमांक– 1.33

वर्षवार प्रदेश के उत्पादन कार्यों के सम्पादन से निर्मित मानव दिवस

क्रमांक	वर्ष	मानव दिवस (लाख में)
1	2013-14	27.56
2	2014-15	22.34
3	2015-16	21.08
4	2016-17	20.06
5	2017-18	19.04 (अनुमानित)

1.4.16 वन्यजीव प्रबंधन

प्रदेश में वन्यप्राणियों का संरक्षण एवं प्रबंधन वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाता है। अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य के गठन एवं प्रबंधन के प्रावधान सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त टाईगर रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व तथा कम्यूनिटी रिजर्व बनाये जाने के भी प्रावधान है। अधिनियम के अंतर्गत 6 अनुसूचियां है। प्रथम 5 अनुसूचियां वन्यप्राणियों को वर्गीकृत करती है तथा अनुसूचि 6 में पादप प्रजातियां उल्लेखित है। अनुसूचियों में उल्लेखित प्रजातियों को संरक्षित क्षेत्र के अंदर एवं बाहर विशिष्ट दर्जा प्राप्त है। शेष प्रजातियां संरक्षित क्षेत्र के भीतर होने पर ही अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रबंधित होती है। संरक्षित क्षेत्रों में उपलब्ध निर्जीव वस्तुयें भी वन्यजीवों के पर्यावास का भाग होने के कारण उनका विदोहन अधिनियमित है।

कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बाघ

- **प्रदेश के संरक्षित क्षेत्र**

राज्य शासन द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण को उच्च प्राथमिकता दी गई है। मध्यप्रदेश में वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र 10989.247 वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश में 10 राष्ट्रीय उद्यान एवं 25 वन्यप्राणी अभयारण्य है। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, एवं संजय राष्ट्रीय उद्यानों तथा इनके निकटवर्ती 06 अभयारण्यों को समाहित कर प्रदेश में 06 टाइगर रिजर्व स्थापित है। विलुप्त प्रायः पक्षी सोनचिड़िया के संरक्षण के लिये करैरा एवं घाटीगांव, खरमोर के संरक्षण के लिए सैलाना एवं सरदारपुर तथा जलीय प्राणियों के संरक्षण के लिये चम्बल, केन एवं सोन घड़ियाल अभयारण्य गठित किये गये है। इसी प्रकार डिण्डौरी जिले के घुघवा में फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जहाँ 06 करोड़ वर्ष तक पुराने जीवाश्म संरक्षित किये गये है। धार जिले में "डायनोसोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, बाग" स्थापित किया गया है। भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में मान्यता प्राप्त है। बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी के सहयोग से केरवा, भोपाल में गिद्धों के संरक्षण हेतु प्रजनन केन्द्र की स्थापना की गई है।

सतपुड़ा टाईगर रिजर्व में गौर तथा बच्चा

इसके अतिरिक्त मुकुन्दपुर जिला सतना में सफेद बाघ के संरक्षण एवं विकास के लिए टाइगर सफारी एवं चिड़ियाघर स्थापित किया गया है। बाघ, बारहसिंघा, मगर, डॉल्फिन, घड़ियाल, तेन्दुआ, गौर एवं काला हिरण प्रदेश को पहचान देने वाली मुख्य वन प्राणी प्रजातियॉ है। प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों की सूची परिशिष्ट–16 में दी गई है।

- **वन्यप्राणी संरक्षण**

वन्यप्राणियों के संरक्षण एवं प्रबंध की मौलिक जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्रीय इकाइयों –संरक्षित क्षेत्र एवं क्षेत्रीय वनमण्डल की है। इनकी सहायता के लिए प्रदेश में निम्न अतिरिक्त व्यवस्थायें की गई है :–

- राजस्व क्षेत्रों में रोजड़ो के द्वारा किये जाने वाले फसल हानि की समस्या पर नियंत्रण पाने की दृष्टि से प्रदेश में नवीन पहल कर इन समस्या ग्रस्त क्षेत्रों के रोजड़ों को पकड़कर राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्यों के भीतर छोड़े जाने की शुरूआत की गई है। खेतों में स्वच्छंद विचरण करने वाले रोजड़ों को समूहों में पकड़ने का यह सम्पूर्ण भारतीय उप महाद्वीप का पहला सफलतम कार्य है। प्रथम चरण में मंदसौर जिले के राजस्व क्षेत्र से रोजड़ों को पकड़कर गांधीसागर अभयारण्य में छोड़ा गया है। रोजड़ों को पकड़ने के लिये प्रदेश में एक नवीन तकनीक की शुरूआत की गई जिसे ऐरा केप्चर तकनीक नाम दिया गया है। इस विधि में अफ्रीका में उपयोग किये जाने वाले बोमा एवं हेलीकाप्टर के स्थान पर बोमा बनाकर स्थानीय ग्रामीणों एवं घुड़सवारों की मदद से रोजड़ों को हॉकते हुये सीधे परिवहन ट्रक के भीतर लाने में सफलता पाई गई।

- वन्यप्राणी पुनर्स्थापना के अन्तर्गत विभाग की उपलब्धि उल्लेखनीय है। पन्ना टाईगर रिजर्व में पेंच, बॉधवगढ़ एवं कान्हा टाईगर रिजर्वो सें बाघ की पुनर्स्थापना सफलता पूर्वक की गई है। मांसहारी वन्यप्राणियों के लिये सुविधाजनक रूप से आहार उपलब्ध कराने हेतु पेंच टाईगर रिजर्व से सतपुड़ा टाईगर रिजर्व तथा नौरादेही अभयारण्य एवं प्रस्तावित ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान में चीतल पहुॅचाये गये हैं। इसी प्रकार कान्हा टाईगर रिजर्व से गौर एवं बाराहसिंघा बांधवगढ़ एवं सतपुड़ा टाईगर रिजर्वों तथा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में पहुॅचाये गये हैं। मानव वन्यप्राणी द्वन्द्व कम करने की दृष्टि से सिवनी जिले के राजस्व क्षेत्र से काले हिरण कान्हा टाईगर रिजर्व एवं भोपाल शहर में घुस गये एक बाघ को पन्ना टाईगर रिजर्व पहुॅचाया गया हैं।

- चम्बल नदी में घडियालों की संख्या की वृद्धि के लिये देवरी (मुरैना जिला) में घडियाल प्रजनन कर चम्बल नदी में छोडे जा रहे हैं।
- रहवास स्थल के सफल प्रबंधन के फलस्वरूप संजय दुबरी टाईगर रिजर्व में छत्तीसगढ़ राज्य से जंगली हाथियों का आगमन होने लगा है।
- वन्यप्राणी अपराध अन्वेषण में सहायता के लिए राज्य में टाइगर स्ट्राइक फोर्स कार्यरत है। इस फोर्स के पांच आंचलिक केन्द्र इन्दौर, सागर, होशंगाबाद, जबलपुर और सतना में स्थित है।
- वनों के समीपस्थ बसाहटों में वनों से भटककर आने वाले वन्यप्राणियों को पकड़ कर सुरक्षित रूप से अन्यत्र छोड़ने के लिये 10 रीजनल वन्यप्राणी रेस्क्यू स्क्वॉड कार्यरत है।
- प्रदेश में वन्यप्राणियों की सुरक्षा तथा उनके विरूद्ध हुये अपराधों में अन्वेषण हेतु विशेष टाइगर स्ट्राईक फोर्स (STSF) का गठन किया गया है। दिनांक 21.11.2016 को बालाघाट जिले के सीता पठोर क्षेत्र में वन विकास निगम के कक्ष क्रमांक 786 में बाघ का शिकार कर दफनाने की घटना सामने आई। उक्त प्रकरण की जांच करते हुये STSF एवं स्थानीय वन कर्मचारियों द्वारा कुल 56 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जो उस क्षेत्र में अलग–अलग अवसरों पर 8 बार वन्यप्राणियों की शिकार तथा उनके अवयवों के व्यापार के अपराध में लिप्त थे। जांच के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि उक्त घटनाओं में तीन बाघ एवं 4 तेंदुओं के शिकार सम्मिलित है। इन सभी जानवरों का शिकार झाड़–फूक करते हुये तांत्रिक क्रियाओं, पैसों की बारिश कराना एवं गड़ा सोना खोदने के लिये इनके नाखून एवं बाल प्राप्त करने के लिये किया गया है।

- वन्यप्राणी अपराध अन्वेषण के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता हासिल करते हुये म.प्र. एवं देश के अन्य राज्यों तथा म्यांमार एवं नेपाल के वन्यप्राणी तस्करों तथा शिकारियों को पकड़ने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है तथा निरंतर ही इस क्षेत्र में सफलता मिल रही है। म.प्र. वन विभाग के वन्यप्राणी अपराध नियंत्रण के विशेष प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा प्रदेश के पांच स्थानों क्रमशः जबलपुर, इन्दौर, होशंगाबाद, सागर एवं सतना में विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है। उक्त न्यायालय STSF के द्वारा पंजीकृत अपराध प्रकरणों की सुनवाई करेगी। प्रत्येक STSF न्यायालय में ACJM स्तर के एक न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है।
- टाइगर रिजर्व एवं अन्य महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों की परिधि में स्थित क्षेत्रीय वन मण्डलों के बाघ विचरण वाले क्षेत्रों में स्थित 56 परिक्षेत्रों में सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु पेट्रोलिंग चौकी निर्माण तथा वाहन, वायरलेस एवं अन्य उपकरणों का प्रदाय किया गया है।
- संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत वन्य पशुओं के स्वास्थ्य परीक्षण एवं इलाज के लिए राज्य शासन से 10 पशु चिकित्सकों के पृथक केडर निर्माण की अनुमति प्राप्त की गई है।
- नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, जबलपुर के अंतर्गत एक वन्यजीव स्वास्थ्य एवं फॉरेन्सिक केन्द्र वन विभाग की मदद से संचालित है।
- वन्यप्राणी मुख्यालय द्वारा गठित विशेष जांच दल (STSF) ने दुर्लभ वन्यप्राणी पेंगोलिन के अंगो के व्यापार में लिप्त अंतर्राज्यीय/अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के विरूद्ध सफलतापूर्वक कार्यवाही की जा रही है।

- **वन्यप्राणियों की अवैध शिकार एवं अन्य कारणों से मृत्यु :–**

समस्त प्रयासों के बाद भी प्रदेश में प्रति वर्ष वन्य प्राणियों के अवैध शिकार एवं अन्य कारणों से मृत्यु के प्रकरण घटित होते हैं। विगत पांच वर्षो की प्रकरण संख्या का विवरण **तालिक 1.34** में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.34
(अवैध शिकार एवं मृत्यु प्रकरण)

वर्ष	अवैध शिकार प्रकरण	अन्य मृत्यु प्रकरण	योग
2013	358	1098	1456
2014	347	1232	1579
2015	313	1202	1515
2016	191	914	1105
2017	263	559	822

उपरोक्त प्रकरणों में अवैध शिकार एवं अन्य कारणों से मृत विभिन्न वन्य प्राणियों की संख्या का विवरण **तालिका क्रमांक–1.35** में दर्शित है।

विवरण तालिक क्रमांक–1.35
(अवैध शिकार एवं मृत वन्यप्राणी की संख्या)

वर्ष	अवैध शिकार से मृत वन्यप्राणियों की संख्या	अन्य कारणों से मृत वन्य प्राणियों की संख्या	योग
2013	476	1189	1665
2014	434	1378	1812
2015	401	1251	1652
2016	171	984	1155
2017	245	611	856

मानव तथा वन्यप्राणियों के बीच द्वंद कम करने के प्रयास :–

➢ **वन्यप्राणियों से जन हानि होने पर राहत राशि का भुगतान :–**

वन्य प्राणियों (सांप, गुहेरा एवं जहरीले जन्तु को छोड़कर) द्वारा जन हानि किये जाने पर मृत व्यक्ति के वैधानिक प्रतिनिधि को सक्षम शासकीय चिकित्सक के प्रमाण–पत्र के आधार पर शासन के आदेश क्रमांक/एफ 15–13/2007/10–2 दिनांक 29 अप्रैल, 2016 के अनुसार 4,00,000 (रूपये चार लाख) मात्र एवं इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय क्षतिपूर्ति के रूप में दिये जाते हैं।

➢ **वन्यप्राणियों से जन घायल होने पर राहत राशि का भुगतान**

ऐसे व्यक्ति को शासन के आदेश क्रमांक/एफ 15–13/2007/10–2 दिनांक 29 अप्रैल, 2016 के अनुसार क्षतिपूर्ति की राशि दी जाती है जिसका विवरण **तालिका क्रमांक–1.36** के अनुसार है।

तालिका क्रमांक–1.36

क्र.	वन्यप्राणियों द्वारा की जाने वाली हानि	राहत राशि
1.	स्थायी विकलांगता होने पर	2,00,000 (रूपये दो लाख) मात्र एवं इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय
2.	जनघायल होने पर	इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय तथा अस्पताल में भर्ती रहने की अवस्था में अतिरिक्त रूप में रूपये 500/– प्रतिदिन (अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि हेतु) क्षतिपूर्ति की अधिकतम सीमा रू. 50,000/– (रूपये पचास हजार) तक होगी

विशेष– घटना की लिखित जानकारी तत्काल समीपस्थ वन अधिकारी (वन परिक्षेत्राधिकारी) को देना अनिवार्य है।

➢ **वन्य प्राणियों से पशु–हानि एवं पशुघायल हेतु राहत राशि का भुगतान**

वन्य प्राणियों द्वारा घरेलू निजी पशुओं को मारे जाने पर पशु मालिकों को प्रति मवेशी आर्थिक सहायता राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध करवायी जाती है तथा वन्यप्राणियों से पशुघायल होने पर शासन के आदेश क्रमांक/एफ 15–13/2007/10–2 दिनांक 29 अप्रैल, 2016 के अनुसार प्रभावित लोगों को वर्तमान में राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार वन्यप्राणियों द्वारा पशुहानि हेतु देय मुआवजा राशि की 50 प्रतिशत राशि तक क्षतिपूर्ति राशि दिये जाने का प्रावधान है।

यह सहायता पाने के लिये यह आवश्यक है किः –

(1) निजी पशु मारे जाने/घायल किये जाने पर सूचना समीप के वन अधिकारी को घटना के 48 घंटे के अंदर दी गई हो।

(2) मारे गये मवेशी/ पशु को मारे गये स्थान से नहीं हटाया गया हो।

मध्यप्रदेश में वन्य प्राणियों से जनहानि, जनघायलएवं पशु हानि के कुल प्रकरण एवं मुआवजा भुगतान का विवरण **तालिका क्रमांक 1.37** में दर्शित है।

वन्य प्राणियों से फसल हानि का मुआवजा

वन्यप्राणियों से फसल हानि का मुआवजा राजस्व विभाग द्वारा प्रचलित प्रक्रिया अनुसार आंकलन किया जा कर भुगतान किया जाता है।

संपर्क – फसल हानि की सूचना संबंधित तहसीलदार को दी जानी चाहिए।

तालिका क्रमांक–1.37

वन्यप्राणियों से जनहानि, जनघायल एवं पशुहानि के प्रकरण एवं मुआवजा

वर्ष	जनहानि प्रकरण	राशि	जनघायल प्रकरण	राशि	पशुहानि प्रकरण	राशि
2012–13	48	6335865	2906	10385572	4930	25871560
2013–14	48	6779400	2092	7807328	5232	29398705
2014–15	61	9135986	1334	6171288	4891	36619515
2015–16	52	7847885	1442	6122584	6128	41050818
2016–17	52	19855881	1308	6744239	7440	70064368

संरक्षित क्षेत्रों से ग्रामों का पुनर्स्थापन –

वन्यप्राणी संरक्षण तथा मानव–वन्यप्राणी द्वन्द को कम करने के लिए वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार बाघों के क्रिटिकल रहवास क्षेत्रों से समस्त ग्रामों का पुनर्स्थापन आवश्यक है। शेष संरक्षित क्षेत्रों के चिन्हित ग्रामों का भी पुनर्स्थापन किया जाना प्रावधानित है। इस हेतु रूपये 10.00 लाख प्रति पुनर्वास इकाई की दर से ग्राम के पुनर्वास के लिए राशि का निर्धारण किया जाता हैं। केन्द्र से पर्याप्त राशि प्राप्त न होने के कारण 12वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य योजना के अंतर्गत राशि के प्रावधान में वृद्धि की गई है। राज्य शासन की नीति के अनुसार पुनर्स्थापन का कार्य ग्रामवासियों की सहमति के उपरांत ही किया जाता है। विगत वर्षो में पुनर्स्थापित किये गये ग्रामों की संख्या का विवरण **तालिका क्रमांक–1.38** में दर्शित है।

तालिका क्रमांक–1.38

संरक्षित क्षेत्र में पुर्नस्थापित ग्राम

वित्तीय वर्ष	पुनर्स्थापित ग्राम संख्या
2012–13	4
2013–14	13 एवं 1 आंशिक
2014–15	17 एवं 3 आंशिक
2015–16	12 एवं 9 आंशिक
2016–17	19
2017–18 प्रगतिरत	7

वन्यप्राणियों की संख्या का आंकलन

बाघों, सह–परभक्षियों एवं अन्य वन्य पशुओं की संख्या का आंकलन एवं उनके रहवास का मूल्यांकन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के सहयोग से प्रति चार वर्ष में एक बार किया जाता है। अभी तक हुये तीन आंकलन में मध्यप्रदेश में बाघों की औसत संख्या का आंकलन का विवरण **तालिका क्रमांक–1.39** में दर्शित है।

तालिका क्रमांक–1.39

बाघों की संख्या का आकलन

बाघों की संख्या			
राज्य/वर्ष	**2006**	**2010**	**2014**
मध्यप्रदेश	300 (236–364)	257 (213–301)	308

गिद्धों की संख्या का आंकलनः– भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, नेहरू नगर भोपाल के द्वारा प्रदेश में पहली बार वर्ष 2016 में संकटाग्रस्त प्रजाति गिद्धों की गणना की गई है। जिसमें प्रदेश में 07 प्रजाति के लगभग 7000 गिद्ध पाये गये हैं। यह प्रदेशव्यापी गिद्ध गणना संकट ग्रस्त गिद्धों के संरक्षण में भविष्य में नीव का पत्थर साबित होगी।

गिद्ध प्रजनन, वन विहार, भोपाल

टाइगर रिजर्व का प्रबंध

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V (4) (ii) के अन्तर्गत प्रत्येक टाइगर रिजर्व में क्रिटिकल टाइगर हैबीटेट (कोर) एवं बफर क्षेत्र अधिसूचित किया जाना अनिवार्य है। क्रिटिकल टाइगर हैबीटेट पूर्णतः वन्यप्राणियों के उपयोग के लिए सुरक्षित है, जबकि बफर क्षेत्र क्रिटिकल टाइगर हैबीटेट के चारों ओर का बहुउपयोग में लाया जाने वाला वह क्षेत्र है जो क्रिटिकल टाइगर हैबीटेट की संनिष्ठता एवं सुरक्षा के लिये आवश्यक है। यहॉ कोर क्षेत्र की तुलना में प्रतिबन्ध कम होते है।

टाइगर रिजर्व के प्रबंध हेतु बनायी जाने वाली टाइगर कंजर्वेशन प्लान में कोर एवं बफर क्षेत्र हेतु प्रबंध निर्देशों को सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त दो संरक्षित क्षेत्रों को जोड़ने वाले कॉरिडोर क्षेत्र के बारे में भी सांकेतिक प्रावधान सम्मिलित किये जाते है।

संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यप्राणी प्रबंध

संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यप्राणी प्रबंधन हेतु एक नवीन योजना प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यप्राणी प्रबंध हेतु क्षेत्रीय वनमण्डलों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। कॉरिडोर क्षेत्रों को सुदृढ़ करने के लिये भी इस योजना के अंतर्गत कार्य किया जाता है।

पेंच एवं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के वन्यप्राणी कॉरीडोर को सशक्त करने के लिये विश्व बैंक से पोषित जैव विविधिता संरक्षण एवं ग्रामीण आजीविका सुधार परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

वन्य प्राणीयों के लिये जल स्रोत का विकास

बेहतर वन्य प्राणी प्रबधंन के लिए जल स्त्रोतों की उपलब्धता अनिवार्य है। विभिन्न अभयारण्य में पूर्व में अनेक योजनाओं के अंतर्गत जलस्त्रोतों के विकास की कई संरचनाओं का निर्माण किया गया है। जिसके परिणामस्वरूप अभयारण्यों के अंतर्गत आज ऐसे कई जलस्त्रोत हैं, जिनमें वर्ष भर पानी मौजूद रहता है।

विभिन्न लेण्डस्केपों में अभयारण्य स्थित होने के कारण वर्षा ऋतु उपरांत अधिकांश नदी नालों में जल का प्रवाह समय के साथ तेजी से घटने लगता है। ऐसे में पानी के प्रवाह को रोककर इसके संग्रहण का प्रबंध करना अत्यंत आवश्यक है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए गत वर्ष वर्षा ऋतु उपरांत कुछ अभयारण्यों में बोरी बंधान कार्य कराया जाकर वन्य प्राणियों को जल स्त्रोत उपब्ध कराने की कार्यवाही की गई है।

वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटन :–

पर्यटकों की सुविधा के लिये कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा एंव पेंच टाइगर रिजर्व में ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के निर्देशानुसार टाइगर रिजर्व में पर्यटन हेतु खुला क्षेत्र 20 प्रतिशत की सीमा तक निर्धारित है। विगत वर्षो में पर्यटकों की संख्या तथा उनसे आय निम्न **तालिका क्रमांक –1.40** में दर्शित है।

तालिका क्रमांक–1.40

संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटन

वर्ष	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
पर्यटकों की संख्या (लाख में)	10.2	10.9	10.27	10.23	10.67
अर्जित आय (लाख में)	1482.84	2068.29	2194.02	2608.25	2138.85

1.4.17 कार्य आयोजना

प्रदेश के वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन कार्य आयोजना के अनुसार किया जाता है। कार्य आयोजना पुनरीक्षण हेतु प्रदेश में क्षेत्रीय वृत्त स्तर पर सोलह कार्य आयोजना इकाईयॉ स्थापित हैं। उन इकाइयों के नियंत्रण हेतु तीन ऑचलिक कार्यालय स्थापित किये गये हैं। विवरण **तालिका क्रमांक 1.41** में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.41

कार्य आयोजना की क्षेत्रीय इकाईयॉ

कार्य आयोजना (आंचलिक)	3	भोपाल, इन्दौर एवं जबलपुर
कार्य आयोजना इकाई	16	बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छतरपुर, छिन्दवाड़ा, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, रीवा, सागर, सिवनी, शहडोल, शिवपुरी एवं उज्जैन।

मध्यप्रदेश के कार्य आयोजना इकाईयों द्वारा जिन वनमंडलों की कार्य आयोजना पुनरीक्षित की जा रही है, उनका विवरण **तालिका क्रमांक 1.42** में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.42

पुनरीक्षणाधीन कार्य आयोजना की सूची

अ.क्र.	कार्य आयोजना इकाई	का.आ. पुनरीक्षणाधीन वनमंडल
1	भोपाल	विदिशा
2	बैतूल	दक्षिण सागर
3	होशंगाबाद	सीहोर
4	सागर	उत्तर सागर
5	छतरपुर	उत्तर पन्ना
6	इंदौर	खरगोन/सेंधवा
7	खण्डवा	बड़वानी
8	ग्वालियर	श्योपुर
9	शिवपुरी	शिवपुरी
10	उज्जैन	झाबुआ/अलीराजपुर

11	जबलपुर	जबलपुर
12	सिवनी	उत्तर सिवनी
13	बालाघाट	दक्षिण बालाघाट
14	रीवा	सतना
15	शहडोल	दक्षिण शहडोल/अनूपपुर
16	छिंदवाड़ा	पूर्व छिन्दवाड़ा

वर्ष 2017–18 में 05 वनमंडलों की पुनरीक्षित कार्य आयोजनाओं का अनुमोदन एवं 09 वनमंडलों की कार्य करण योजनाओं का अनुमोदन भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई है, उनका विवरण **तालिका क्रमांक 1.43** में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.43

स्वीकृत कार्य आयोजनायें एवं कार्य करण योजनायें

(माह जनवरी 2018 की स्थिति में)

क्रमांक	कार्य का विवरण	संख्या	वनमंडल का नाम
1	**2**	**3**	**4**
1	स्वीकृत कार्यकरण योजनायें	09	दमोह, पश्चिम छिन्दवाड़ा, जबलपुर, दक्षिण बैतूल, सीहोर, औबेदुल्लागंज दक्षिण शहडोल,शिवपुरी एवं उत्तर सिवनी
2	अनुमोदित कार्य आयोजनायें	05	पश्चिम बैतूल, ग्वालियर, भिण्ड, दतिया एवं बुरहानपुर

1.4.18 वन भू–अभिलेख

संरक्षित एवं आरक्षित वनखण्डों का गठनः –

(क) आरक्षित वन गठित करने हेतु भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 से 20 तक की लम्बी प्रक्रिया से गुजरना होता है। अतः वनभूमि अधिसूचित करने की प्रक्रिया में किसी क्षेत्र को वर्तमान में वैधानिक संरक्षण देने के लिये सर्वप्रथम भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन अधिसूचित किया जा रहा है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत गत एक वर्ष में वनभूमि के व्यपवर्तन की जारी अनुमति के फलस्वरूप प्राप्त गैर वनभूमियों को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–29 के अन्तर्गत 182 अधिसूचनाओं द्वारा 4789.59 हेक्टेयर संरक्षित वन मध्यप्रदेश के राजपत्र में अधिसूचित की गई है।

(ख) असीमांकित संरक्षित वनों, जिन्हें नारंगी क्षेत्र कहा जाता है, के सर्वेक्षण में उपयुक्त पाये गये क्षेत्रों को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 में अधिसूचित किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

(ग) अनुपयुक्त पाये गये नारंगी क्षेत्रों के निर्वनीकरण हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने के लिये जानकारी संकलित की जा रही है।

(घ) आरक्षित वनों में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक अधिकारों का व्यवस्थापन कर दिया जाता है। संरक्षित वनों में ऐसे अधिकार यथावत रहते हैं, अतः इनका अभिलेखन किया जाना आवश्यक है। वर्ष 1950 में जागीरदारी एवं जमींदारी प्रथा समाप्त होने के पश्चात् शासन के पक्ष में वेष्ठित भूमियों को वर्ष 1958 में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक अधिकारों का अभिलेखन किये बिना ही संरक्षित वन अधिसूचित कर दिया गया था। इन अधिकारों का अभिलेखन अभी तक लम्बित है। अधिकारों के अभिलेखन का कार्य सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा किया जाना है।

वन एवं राजस्व भूमि सीमा विवाद

वर्ष 2004 से मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार वन एवं राजस्व भूमि सीमा विवाद के निराकरण की कार्यवाही प्रचलित है। वन सीमा से लगे 19,714 ग्रामों में से 19,554 ग्रामों में वन एवं राजस्व सीमाओं के सत्यापन उपरान्त अभिलेखों को अद्यतन करने की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। शेष ग्रामों में कार्यवाही पूर्ण करने हेतु प्रयास जारी हैं।

वन व्यवस्थापन

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–4 के अन्तर्गत प्रस्तावित आरक्षित वन अधिसूचित किये जाते हैं। प्रस्तावित आरक्षित वनों के वनखण्डों की धारा 6 से 19 तक की विधिक कार्यवाही करने हेतु वन व्यवस्थापन अधिकारियों की नियुक्तियॉ की जाती हैं। वर्ष 1988 से वन व्यवस्थापन के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को वन व्यवस्थापन अधिकारी बनाया गया। वर्ष 1988 से यह कार्य विभिन्न कारणों से पूर्ण नहीं होने पर वन विभाग द्वारा दिसम्बर 2003 में वन व्यवस्थापन अधिकारियों हेतु मार्गदर्शी निर्देश /प्रक्रिया संकलित कर जिलाध्यक्ष के माध्यम से समस्त वन व्यवस्थापन अधिकारियों को भेजी गई तथा उनका प्रशिक्षण भी जिला स्तर पर कराया गया फिर भी वन व्यवस्थापन के कार्य में वांछित प्रगति प्राप्त नहीं हुई।

वर्तमान में भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–4 में अधिसूचित 6,520 वनखण्डों की 30,04,624 हेक्टेयर भूमि के संबंध में धारा 6 से 19 तक की वन व्यवस्थापन की कार्यवाही लंबित है।इस कार्यवाही के लिये प्रदेश के 16 वन वृत्तों में अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) को वन व्यवस्थापन अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव प्रक्रिया में है।

मध्यप्रदेश शासन मुख्य सचिव, कार्यालय का पत्र क्रमांक–974/एफ–25–08/2015/10–3 दिनांक 01 जून 2015 द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–4 के अन्तर्गत प्रकाशित अधिसूचनाओं में सम्मिलित पूर्णतः निजी स्वामित्व के भू–खण्डों को प्रस्तावित आरक्षित वन खण्ड से पृथक रखने बावत् कार्यवाही करने के निर्देश समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश को दिये गये हैं।

वर्ष 2016 में वन व्यवस्थापन की कार्यवाही उपरांत 07 वनखण्डों का 2186.746 हेक्टेयर आरक्षित वन की अधिसूचनाऐं राजपत्र में प्रकाशित की गई हैं।

वनग्रामों की भूमि का प्रबंधन

(क) वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित कराना –

मध्य प्रदेश के 29 जिलों में 925 वन ग्राम हैं, जिनमें से 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत स्वीकृति हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को जनवरी 2002 से जनवरी 2004 तक की अवधि में जिलेवार प्रस्ताव प्रेषित किये गये थे। इन 827 वन ग्रामों में से 310 वन ग्रामों की सैद्धांतिक स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2002 से जनवरी 2004 के मध्य जारी की गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका

क्रमांक/337/1995 की आई. ए. क्रमांक–2 में दिनांक 13.11.2000 से निर्वनीकरण पर रोक लगाई गई है एवं भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने की स्वीकृति पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24.02.04 से स्थगन जारी किया गया है। इस कारण शेष 517 वन ग्रामों के लिये भी स्वीकृति लम्बित है। वैसे भी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 310 वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित किये जाने की सैद्धांतिक स्वीकृतियों में अधिरोपित शर्तों की पूर्ति किये जाने में व्यवहारिक कठिनाईयाँ हैं। शर्तों में एक शर्त यह भी है कि वन ग्रामों से बनाये गये राजस्व ग्रामों का प्रशासनिक नियंत्रण वन विभाग का ही रहेगा।

अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा–3 (1) (ज) में वनग्रामों के संपरिवर्तन के अधिकार का उल्लेख है। विधि विभाग से प्राप्त अभिमत दिनांक 12.12.2016 अनुसार वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत बिना भारत सरकार के पूर्व अनुमति के वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(ख) वर्ष 1980 के पूर्व राजस्व विभाग को हस्तांतरित वन ग्राम –

वर्ष 1980 के पूर्व वन विभाग द्वारा राजस्व विभाग को 533 वनग्राम हस्तांतरित किये गये। इनमें से केवल 06 वनग्राम ही निर्वनीकृत हुये हैं। इन 06 वनग्रामों का हस्तांतरण दिसम्बर 1975 में हुआ था और इनमे से 02 वनग्राम जून 1978 में, 02 वनग्राम दिसम्बर 1979 में और 02 वन ग्राम सितम्बर 1986 में निर्वनीकृत किये गये हैं। इससे स्पष्ट है कि इन सभी 533 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाये जाने की मंशा से ही इन्हें राजस्व विभाग को हस्तांतरित किया गया था। लेकिन उक्त 06 वन ग्रामों के अतिरिक्त शेष 527 वन ग्रामों की वन भूमि को अभीतक निर्वनीकृत नहीं किया गया है। वनग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने की मंशा से राजस्व विभाग को हस्तांतरित 533 में से 527 वन ग्रामों की वनभूमि को हस्तांतरण के दिनांक से वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत निर्वनीकृत की अनुमति हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक/वन अधि./938 दिनांक 10.08.2016 से प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय को प्रेषित किये गये हैं।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 : –

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन की कार्यवाही आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा की जा रही है और पात्र लोगों को वितरित अधिकार पत्रों से संबंधित अभिलेखों के संधारण का दायित्व वन विभाग को सौंपा गया है। आदिम जाति कल्याण विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार दिनांक 30.09.2017 की स्थिति में प्रदेश में व्यक्तिगत 219433 वन अधिकार पत्र 331086.8 हेक्टेयर वनक्षेत्र में तथा सामुदायिक 27527 अधिकार पत्र कुल 527038.3 हेक्टेयर वनक्षेत्र में वितरित किये गये हैं।

1.4.19 समन्वय

मध्यप्रदेश शासन द्वारा नागरिकों को राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा सम्पन्न किये जाने वाले कार्यों एवं गतिविधियों से संबंधित विभिन्न जन सेवाओं को समय–सीमा में उपलब्ध कराये जाने हेतु ''मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010'' लागू किया गया है।

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अन्तर्गत वन विभाग से संबंधित निम्नलिखित सेवायें सम्मिलित की गई है। संबंधित सेवाओं के नाम पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम तथा द्वितीय अपीलीय अधिकारियों की सूची एवं सेवा उपलब्ध कराये जाने की समय–सीमा **तालिका क्रमांक 1.44** में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.44
लोक सेवा गारंटी योजना

सेवा क्र.	सेवायें	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समयसीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समयसीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
10.1	वन्यप्राणियों से जनहानि हेतु राहत राशि का भुगतान।	परिक्षेत्र अधिकारी	3 कार्य दिवस	वनमंडलाधिकारी संरक्षित क्षेत्र के उप संचालक / सहायक संचालक	15 कार्य दिवस	वन संरक्षक / संरक्षित क्षेत्र के संचालक
10.2	वन्यप्राणियों से जन घायल हेतु राहत राशि का भुगतान।	परिक्षेत्र अधिकारी	7 कार्य दिवस	वनमंडलाधिकारी संरक्षित क्षेत्र के उप संचालक / सहायक संचालक	15 कार्य दिवस	वन संरक्षक / संरक्षित क्षेत्र के संचालक
10.3	वन्यप्राणियों से पशु–हानि हेतु राहत राशि का भुगतान।	परिक्षेत्र अधिकारी	30 कार्य दिवस	वनमंडलाधिकारी संरक्षित क्षेत्र के उप संचालक / सहायक संचालक	30 कार्य दिवस	वन संरक्षक / संरक्षित क्षेत्र के संचालक
10.4	मालिक मकबूजा प्रकरण में भुगतान। 1. डिपो में काष्ठ प्राप्त होने के उपरांत भुगतान के प्रकरण 2. पृथक लॉट के विकल्प की दशा में विक्रय मूल्य की पूर्ण वसूली के प्रकरण	 वनमंडलाधिकारी वनमंडलाधिकारी	 45 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	 वन संरक्षक वन संरक्षक	 30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
10.5	काष्ठ के परिवहन का अनुज्ञा पत्र प्रदान करना।	1. शासकीय काष्ठागार हेतु काष्ठागार अधिकारी / परिक्षेत्र अधिकारी 2. काष्ठ के पंजीकृत व्यापारी / विनिर्माता हेतु परिक्षेत्र अधिकारी 3. भूमि स्वामी से प्राप्त काष्ठ हेतु उप वनमंडलाधिकारी	3 कार्य दिवस 10 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	उप वनमंडलाधिकारी उप वनमंडलाधिकारी उप वनमंडलाधिकारी	15 कार्य दिवस 15 कार्य दिवस 15 कार्य दिवस	वनमंडलाधिकारी वनमंडलाधिकारी वनमंडलाधिकारी

विभाग द्वारा इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। योजना का क्रियान्वयन ऑनलाईन होने के परिणामस्वरूप इसका सतत् अनुश्रवण मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर प्रभावी रूप से किया जा रहा है। सेवा प्रदाय की स्थिति **तालिका क्रमांक 1.45** में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.45
लोकसेवा प्रबंधन अन्तर्गत सेवा प्रदाय की स्थिति
दिनांक 07/08/2011 से दिनांक 02/11/2017 तक

अब तक प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	निर्धारित समयसीमा में निराकृत आवेदन पत्रों की संख्या			निर्धारित समयसीमा के पश्चात् निराकृत आवेदन पत्रों की संख्या			लंबित आवेदन पत्रों की संख्या					
							समय सीमा बाह्य	जिनकी समय सीमा पूर्ण होगी				योग
	सेवा उपलब्ध कराई गई	सेवा अमान्य कर दी गई	योग	सेवा उपलब्ध कराई गई	सेवा अमान्य कर दी गई	योग		आज	2 दिनों में	3 दिनों में	3 दिनों के बाद	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
120096	117654	1118	118772	791	65	856	8	10	3	4	443	468